### <u>न्यायालयः द्वितीय् अपर जिला न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड(म.प्र.)</u> (समक्षः मोहम्मद अजहर)

<u>प्रस्तृति दिनांक 28.02.2014</u>

उमाशंकर पुत्र रामेश्वर दयाल उर्फ शंतिप्रसाद आयु 58 साल जाति ब्राह्म्ण निवासी मौ रोड गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

...... अपीलार्थी / वादी

#### विरूद्ध

रामेश्वर दयाल उर्फ शांतिप्रसाद आयु 75 साल निवासी मौ रोड गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

.....प्रत्यर्थी / प्रतिवादी

न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—एक गोहद (श्री केशव सिंह) के न्यायालय के मूल व्यवहार वाद कमांक 11ए/14 में घोषित निर्णय दिनांक 27.01.14 से उद्भूत यह नियमित सिविल अपील।

अपीलार्थी द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता। प्रत्यर्थी द्वारा श्री के०पी० राठौर अधिवक्ता।

.....

## <u> -: निर्णय :-</u>

# ( आज दिनांक 26.04.2017 को घोषित)

- 1. अपीलार्थी / वादी द्वारा प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह अपील न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, गोहद जिला भिण्ड (श्री केशवसिंह) के मूल व्यवहार वाद कमांक 11ए / 14 उनवान उमाशंकर बनाम रामेश्वरदयाल में घोषित निर्णय एवं डिकी दिनांक 24.01.2014 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा वादी उमाशंकर के द्वारा विवादित मकान व दुकान स्थित मौ रोड वार्ड नंबर—2, गोहद जिला भिण्ड, जिसका मानचित्र वादपत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है, के संबंध में प्रस्तुत किया गया स्थाई निषेधाज्ञा का वाद निरस्त कर दिया गया।
- 2. अपीलार्थी / वादी के विचारण न्यायालय के समक्ष यह अभिवचन रहे हैं कि विवादित मकान व दुकान का वादी एक मात्र स्वामी एवं आधिपत्यधारी है और उसमें अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। उक्त मकान एवं दुकान वादी ने दि0–02 / 04 / 1983 को विकेता रामचरण पुत्र धीरसिंह लोधी से विधिवत क्रय की थी तथा विकथपत्र को उपपंजीयक कार्यालय, गोहद में संपादित कराया गया था।

विवादित जगह की चतुर्सीमा पूर्व में प्लॉट दामोदरप्रसाद वर्तमान में मकान, पश्चिम में मकान माताप्रसाद बगैरह, उत्तर में मकान स्वयं का तथा दक्षिण में मौ रोड सिथत है । उक्त प्लॉट पूर्ण प्रतिफल देकर 2600 वर्गफीट क्रय किया गया था, जो सर्व कमांक—1132 रकवा 0.94 हैक्टेयर तथा खाता क0—401 का सर्वे क्र0—1181 रकवा 0.439 हैक्टेयर दोनों में से मिन हिस्सा 1/16 में से वादी द्वारा 2600 वर्गफीट क्रय की गयी थी, जिसमें वादी का उक्त मकान एवं दुकान बनी हुई है। जिसका मानचित्र वादपत्र के साथ संलग्न किया गया है। वादी एवं उसके पिता एवं परिवार की संपत्ति के संबंध में कई बिवाद चल रहे हैं, जिससे उसके पिता नाराज रहते हैं । उक्त मकान एवं दुकान से प्रतिवादी पिता का कोई संबंध नहीं है। दि0—10.05.2009 को प्रतिवादी पिता ने उक्त विवादित सम्पत्ति विक्रय करने व विक्रय करने का अनुबंध करने के लिए झगडालू किस्म के व्यक्तियों से बातचीत की और उक्त विवादित मकान व दुकान का बयनामा या अनुबंध करने की धौंस दी। उक्त आधारों पर स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता की प्रार्थना की गयी।

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी की ओर से वादी के अभिवचनों का सामान्य और विर्निदिष्ट रूपसे प्रत्ख्यान किया गया और यह अभिवचन किया गया कि वादी ने वादग्रस्त मकान किस सर्वे नंबर में स्थित है, उसका कोई उल्लेख नहीं किया है। वादी का कोई वादग्रस्त मकान नहीं है। मानचित्र भी गलत बनाया गया है। जिस मकान को विवादित बताया गया है, उस मकान की जगह प्रतिवादी ने पूर्व स्वामी शांतिदेवी पुत्र सालिगराम से दि0-13/05/1983 को जरिये रजिस्ट्रंड विक्यपत्र सर्वे क0-1181 में से मिन रकवा 1181 / 1, 1181 / 2 जिसका क्षेत्रफल 2210 वर्गफीट है क्य किया है। जिसमें प्रतिवादी ने दुकानें व मकान का निर्माण किया है, जिसमें वादी का कोई संबंध, सरोकार व आधिपत्य कभी नहीं रहा है। जिसके नक्शा प्रतिवादपत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है। जिसका डायवर्सन भी प्रकरण क्रमांक 56 / 2006-07 x 59 के द्वारा किया गया है। वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र वाला कोई भी मकान वादी के स्वामित्व व आधिपत्य का नहीं है अपितु प्रतिवादी के स्वामित्व व आधिपत्य का है। वादी ने पूर्व में भी एक बार कृषि भूमि बाबत गलत अभिवचन कर इसी न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था, जो प्रकरण क्रमांक 89/2008 ए ई दी पर संचालित होकर दिनांक 25.04.09 को निरस्त किया गया। वादी का मकान विवादित मकान के उत्तर दिशा की ओर है। जिसका निकास का दरवाजा उत्तर दक्षिण जो गली है, उसमें है। प्रतिवादी विवादित मकान को विक्रय नहीं करना चाहता है और न ही इस संबंध में किसी व्यक्ति से बात-चीत की है। दिनांक 10.05.09 को कभी कोई वादकारण पैदा नहीं हुआ है। वादी के द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है और न्याय शुल्क भी कम अदा किया गया है। वादी ने अपने वृद्ध पिता प्रतिवादी को हैरान और परेशान करने की नियत से गलत अभिवचन कर वाद प्रस्तुत किया है और वाद निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है।

4. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर विचारण न्यायालय के द्वारा निम्निलिखित वादप्रश्न निर्मित किए जाकर साक्ष्य की विवेचना के आधार पर उनके समक्ष निष्कर्ष निम्नानुसार दिए गए :--

वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1. क्या प्रकरण में विवादित मकान एवं दुकान वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य की है ?	नहीं
2. यदि हां, तो क्या प्रतिवादी द्वारा विवादित मकान एवं दुकानों को विकय करने का प्रयास किया जा रहा है ?	नहीं
3. क्या वादी द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर, उचित न्यायशुल्क अदा किया गया है ?	प्रमाणित
4. सहायता एवं वाद व्यय	निर्णय कण्डिका 18 के अनुसार

अपीलार्थी / वादी की ओर से अपील में एवं अंतिम तर्कों में प्रमुख आधार यह लिया है कि विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित किए जाते समय विधि को अनदेखा किया गया है। विधि का यह सिद्धांत है कि वादी के अभिवचनों को प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किए जाने की दशा में उन तथ्यों को प्रमाणित किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसके पश्चात भी विचारण न्यायालय के यह मानने में कानूनी भूल की है कि वादी के द्वारा अपनी सम्पत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार की मौखिक साक्ष्य नहीं दी है। जबिक इस तथ्य को प्रतिवादी के द्वारा अपने कथनों के पद कमांक 05 में स्वीकार किया गया है तथा वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य से भी प्रमाणित किया गया है। वादी की ओर से एक आवेदन अंतर्गत आदेश 18 नियम 17 जावदीव का प्रस्तुत किया था कि वादी द्वारा वादी के साक्ष्य के पश्चात जो संशोधन समाविष्ट किया है तथा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए है, उनके संबंध में वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था, किंतु विचारण / अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का अवसर वादी को प्रदान नहीं किया है तथा उसी को आधार मानकर वादी के वादपत्र को निरस्त किए जाने में कानूनी भूल कारित की है। उक्त आधारों पर यह अपील स्वीकार की जाकर

निर्णय एवं डिकी दिनांक 27/01/14 को अपास्त किया जाकर वादी का वाद स्वीकार करते हुए, वाद डिकी किए जाने की प्रार्थना की गई है। प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की ओर से मौखिक रूप से तर्क करते हुए व्यक्त किया है कि विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उचित रूप से निर्णय एवं डिकी पारित की गई है और अपील निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

- 6. इस अपील के विधिवत निराकरण हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है:-
  - 1. क्या विवादित मकान एवं दुकानें वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य की है ?
  - 2. क्या प्रत्यर्थी / प्रतिवादी द्वारा विवादित मकान एवं दुकानों को विकय करने का प्रयास किया जा रहा है ?
  - 3. क्या विचारण / अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं डिकी दिनांक 27.01.2014 स्थिर रखे जाने योग्य है या निर्णय एवं डिकी में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार है ?

### सकारण निष्कर्ष

- 7. अपील में तर्क करते हुए प्रमुख रूप से यह आधार लिया है कि वादप्रश्न कमांक 01 निर्मित नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि वाद स्वत्व घोषणा के लिए नहीं था केवल स्थाई निषेधाज्ञा के लिए है। उक्त व्यवहार वाद में वादप्रश्न दिनांक 31.03.2011 को निर्मित कर दिए गए थे उसके पश्चात न तो अधीनस्थ न्यायालय में कोई आपित की गई और न ही वरिष्ठ न्यायालय में कोई चुनौती दी गई। जहां तक कि स्वत्व एवं आधिपत्य का संबंध है, स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए स्वत्व एवं आधिपत्य होना भी प्रमाणित करना होगा तभी स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है, भले ही स्वत्व घोषणा के लिए वाद प्रस्तुत नहीं किया गया हो। अतः ऐसी स्थिति में वादप्रश्न क्मांक 01 को निर्मित कर कोई वैधानिक त्रुटि कारित किया जाना प्रकट नहीं होता है।
- 8. अपील में अपीलार्थी / वादी की और से एक आधार यह लिया है कि उसके द्वारा आदेश 18 नियम 17 जा०दी० का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विचारण / अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 12.12.13 को अपीलार्थी / वादी का आवेदन अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 जा०दी० का स्वीकार किया गया है तथा दिनांक 19.12.13 को वादी के द्वारा संशोधन समाहित किया गया है। परंतु आदेश पत्रिका एवं अभिलेख से स्पष्ट है कि आदेश 18 नियम 17 का कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, यदि ऐसा कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया होता तो उसकी दिनांक का उल्लेख अपीलार्थी / वादी के द्वारा

अपनी अपील में अवश्य किया गया होता।

9. यद्यपि अपीलार्थी / वादी की ओर से उक्त संशोधन दिनांक 19.12.13 से पूर्व ही दिनांक 18.10.13 को आवेदन अंतर्गत आदेश 18 नियम 17 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें निर्वाचक नामावली व अन्य दस्तावेजों के संबंध में वादी की साक्ष्य पुनः लिए जाने की प्रार्थना की गई थी। परंतु उक्त आवेदन दिनांक 11.11.13 को निरस्त कर दिया गया है। विचारण / अधीनस्थ न्यायालय ने यह मान्य किया है कि निर्वाचक नामावली, विद्युत बिल की रसीद एवं भारत निर्वाचन आयोग के पहचानपत्र से प्रकरण के निराकरण में कोई सहायता प्राप्त होना दर्शित नहीं होता है और यह मान्य करते हुए आवेदन निरस्त किया है। तत्समय वादी साक्ष्य समाप्त हो चुकी थी। प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत था। विचारण / अधीनस्थ का उक्त निष्कर्ष न्यायोचित प्रतीत होता है क्योंकि निर्वाचक नामावली, विद्युत बिल की रसीद एवं निर्वाचन आयोग के पहचानपत्र से विवादित मकान एवं दुकान का स्वत्व एवं आधिपत्य प्रमाणित नहीं हो सकता है।

### विचारणीय बिन्दु कमांक-01

- 10. विचारण / अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज नामांतरण का स्वीकृत आदेश प्र०डी०-01, समेकित कर रसीद प्र०डी०-02, सम्पत्ति कर की रसीद प्र०डी०-03, डायवर्सन आदेश प्र०डी०-04, खसरा प्र०डी०-05 एवं 06 तथा विकयपत्र की प्रमाणित प्रतिलिप प्र०डी०-07 के आधार पर यह मान्य किया कि उक्त विवादित मकान एवं दुकान प्रतिवादी रामेश्वर दयाल के द्वारा शांति देवी से क्य की गयीं तथा उसके पश्चात राजस्य अभिलेख में उसके नाम का नामांतरण होकर भूमि का डायवर्सन हुआ है। प्रस्तुत दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह मान्य किया कि वादी ने मानचित्र में चर्तुसीमाओं में यह उल्लेख नहीं किया है कि भूमि की सीमाएं कितने वर्गफीट लंबी हैं और कितने वर्गफीट चौडी हैं। किसी भी सीमा का मानचित्र में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी के मकान अलग अलग है और विवादित मकान व दुकानें प्रतिवादी के स्वामित्व व आधिपत्य की है।
- 1]. यदि इस संबंध में प्रस्तुत की गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करें तो पाते हैं कि वादी की ओर से प्र0पी0—01 के विक्रयपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है। जिसमें वादी उमाशंकर के द्वारा रामचरण से सर्वे क्रमांक 1132 रकवा 0.94 हैक्टे0 में 1/16 भाग तथा सर्वे क्रमांक 1181 रकवा 0.439 हेक्टे0 में से 1/16 भाग क्य करना दर्शाया गया है। उक्त कुल भूमि 2600 वर्गफीट की होना

दर्शायी गई है। विकयपत्र दिनांक 02/04/83 का है। उक्त विकयपत्र में पश्चिम दिशा की ओर मकान कामता वगैरा का दर्शाया गया है। जबिक वादी की ओर से वादपत्र के साथ जो नक्शा प्रस्तुत किया है, उसमें पश्चिम दिशा में 12 वर्गफीट का रास्ता बताया गया है, जिससे स्पष्ट है कि वादी की ओर से जिस विवादित मकान व दुकान के संबंध में वाद प्रस्तुत किया है उसकी सभी चतुर्सीमाएं वैसी नहीं है, जैसी विकयपत्र प्र0पी0—01 में है। जिससे स्पष्ट हो जाता है, कि यह वह भूमि भवन व दुकानें नहीं है, जिसके संबंध में वाद प्रस्तुत किया गया है।

- 12. वादी की ओर से विक्रयपत्र प्र0पी0—01 के विक्रेता रामचरण के संबंध में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि रामचरण के पास उक्त भूमि कैसे आई अर्थात भूमि का उक्त स्त्रोत क्या था ? वादी उमाशंकर वा0सा0—01 ने भी कहीं नहीं बताया है कि रामचरण उक्त भूमि का स्वामी कैसे था ? इस संबंध में कोई भी स्वत्व का दस्तावेज वादी की ओर से प्रमाणित नहीं कराया है, जबकि वादी वाद लेकर आया है और सिद्धी का भार उसीपर है।
  - 3. वादी उमाशंकर वा०सा०—01 ने पैरा—04 में यह स्वीकार किया है, कि उसने नगरपालिका में विवादग्रस्त मकान का कोई नामांतरण नहीं कराया है। वादी उमाशंकर वा०सा0—01 ने प्रतिपरीक्षण में जिस प्रकार से उत्तर दिए हैं, उससे ही स्पष्ट हो जाता है, कि वह सही तथ्यों को जानते हुए भी अनिभन्नता प्रकट कर रहा है। उसने यह व्यक्त किया है कि उसे नहीं पता कि दिनांक 13,05.83 को सर्वे कमांक 1181 मिन रकवा 1181/01 एवं 1181/02 क्षेत्रफल 2210 वर्गफीट के पूर्व स्वामी शांति देवी पुत्री सालिग्राम से जरिए विकयपत्र शांतिप्रसाद अर्थात रामेश्वर दयाल ने क्य किया था या नहीं। वादी उमाशंकर वा०सा0—01 ने पैरा—06 में यह भी व्यक्त किया है कि उसे नहीं पता कि उक्त क्य की गई भूमि का डायवर्सन प्रकरण कमांक 56/2006—07 × 59 से हुआ है अथवा नहीं। उसने यह भी व्यक्त किया है कि उसे नहीं पता कि उक्त जगह में रामेश्वर दयाल ने तीन दुकानें बनाई हैं या नहीं अर्थात वादी उमाशंकर वा०सा0—01 ने इस तथ्य से इन्कार ही नहीं किया है कि उक्त भूमि उसके पिता रामेश्वर दयाल उर्फ शांतिप्रसाद ने क्य कर उसका डायवर्सन करा कर वहां पर तीन दुकानें बनाई है।
- 14. जबिक प्रतिवादी रामेश्वर दयाल उर्फ शांति प्रसाद की ओर से प्र0डी0-01 का नामांतरण स्वीकार किए जाने की सूचना प्रस्तुत की है। जिसके अनुसार भवन कमांक 322/42 वार्ड कमांक 02 पर प्रकरण कमांक 07/08 × 3/11 से नामांतरण स्वीकार हुआ है। प्र0डी0-02 समेकित कर रसीद है। जिसके अनुसार 900/-रूपए

समेकित कर जमा किया गया है। प्र0डी0-03 सम्पत्ति कर रसीद है। जिसके अनुसार 4012/-रूपए का सम्पत्ति कर दिनांक 06/07/11 को जमा किया गया है। प्र0डी0-04 डायवर्सन का का प्रतिवेदन है, जिसके अनुसार सर्वे कमांक 1181/01 एवं 1181/02 रकवा 2210 वर्गफीट पर रामेश्वर दयाल उर्फ शांति प्रसाद के पक्ष में उक्त भूमि का डायवर्सन स्वीकार किया गया है। जिसकी विधिवत कमशः 358/-रूपए, 1230/-रूपए एवं 100/-रूपए फीस जमा की गई है। जबकि इसके विपरीत वादी के द्वारा न तो कोई नामांतरण, न डायवर्सन और न ही सम्पत्ति कर जमा करने का कोई प्रमाण प्रस्तुत किया है। जिससे प्रकट है कि प्रतिवादी का मामला वादी के मामले से प्रबल है।

🖊 प्रतिवादी की ओर से प्र0डी0–05 एव प्र0डी0–06 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई हैं। जिसके अनुसार सर्वे क्रमांक 1181/01 एवं सर्वे कमांक 1181/02 पर अन्य हिस्सेदारों के साथ-साथ शांतिदेवी पुत्री सालीग्राम का क्रमशः 0.102 हेक्टे0 तथा 0.134 हेक्टे0 पर भूमि स्वामी व कब्जेदार के रूप में नाम दर्ज है। यद्यपि उस पर उमाशंकर का नाम रकवा ०.०४७ हेक्टे० एवं ०.०४७ पर दर्ज होना दर्शित है। परंत् वादी की ओर से प्रस्तुत विक्रयपत्र से उसके वादपत्र के नक्शे का मिलान नहीं होता है और स्पष्ट भी है कि उभयपक्ष ने विवादित मकान के उत्तर दिशा में उमाशंकर का रिहायशी मकान होना बताया है। उक्त तथ्य सत्य होना भी प्रकट होता है, क्योंकि विक्रयपत्र प्र0पी0-01 और प्र0डी0-07 का भी मिलान करने से स्पष्ट है कि प्र0डी0-07 में उत्तर दिशा की ओर उमाशंकर की भूमि दर्शाई गई है तथा पूर्व दिशा की ओर भी उमाशंकर की भूमि दर्शाई गई है। पश्चिम दिशा में 12 फिट का रास्ता और दक्षिण दिशा में मौ रोड दर्शाई गई है। यदि प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत किए गए नक्शे का मिलान विक्रयपत्र प्र0डी0-07 करने से स्पष्ट है कि प्र0डी0-07 में उत्तर दिशा की ओर उमाशंकर की भूमि दर्शाई गई है तथा पूर्व दिशा की ओर उमाशंकर की भूमि दर्शाई गई है। पश्चिम दिशा में 12 फिट का रास्ता और दक्षिण दिशा में मौ रोड़ दर्शाई गई है। यदि प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत किए गए नक्शे का मिलान विक्रयपत्र प्र0पी0-01 एवं विक्रयपत्र प्र0डी0-07 से करें तो प्रतिवादपत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा सही होना प्रकट होता है, जिसमें विवादित मकान एवं दुकानों के उत्तर दिशा की ओर उमाशंकर का मकान बताया गया है और पूर्व दिशा में भी उमाशंकर का मकान बताया गया है तथा दक्षिण दिशा की ओर दुकानें प्रतिवादी की तथा उन दुकानों के उत्तर की ओर मकान प्रतिवादी का दर्शित किया गया है, जो कि सही होना प्रकट होता है। इस प्रकार उक्त दोनों विकयपत्र एवं उक्त दोनों नक्शों का मिलान करने पर प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत नक्शा ही सही होना प्रकट होता है। वैसे भी वादी की ओर से न तो कोई नामांतरण कराया गया है न कोई डायवर्सन कराया गया है। ऐसी स्थिति में मकान तथा दुकानों को वादी के द्वारा बनाए जाने की उपधारणा नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में संभावनाओं की प्रबलता निश्चित तौर पर वादी के विरूद्ध है और प्रतिवादी के पक्ष में है। तब विचारण / अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यह मान्य किए जाने में कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की है कि वादी यह प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है कि वह विवादित मकान व दुकानों का स्वामित्व व आधिपत्यधारी है।

## विचारणीय बिन्दु कमांक 02 एवं 03:-

- 16. वादी उमाशंकर वा०सा०–01 ने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि प्रतिवादी अर्थात उसके पिता ने दिनांक 10.05.09 को विवादित मकान का विक्रय करने का तथा बयनामा करने की धौंस दी। वादी के साक्षी देवेन्द्र शुक्ला वा०सा0–02 एवं गिरांज शर्मा वा०सा0–03 ने भी यह बताया है कि प्रतिवादी ने दिनांक 10.05.09 को झगड़ालू प्रवृत्ति के व्यक्तियों के हक में दुकानों का बयनामा करने की धौंस दी। देवेन्द्र शुक्ला वा०सा0–02 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा–02 में यह बताया है कि उसने दिनांक 10.05.09 को भगवान जी के मंदिर में बैठकर भजन किया था। इसलिए किसी भी झगड़ालू प्रवृत्ति के व्यक्ति से वह नहीं मिला था। यह स्वीकार किया है कि 10.05.09 को उमाशंकर एवं रामेश्वर के मध्य क्या घटना घटित हुई उसे कोई जानकारी नहीं है।
- 17. इसी प्रकार गिर्राज शर्मा वा०सा०—03 ने पैरा—03 में यह स्वीकार किया है कि उसने अपने शपथपत्र में धौंस के संबंध में कुछ नहीं लिखाया है और यदि कुछ लिखा हो तो उसे कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार यह प्रकट नहीं होता है कि विकय करने की काई धौंस दिनांक 10.05.09 को दी गई हो, क्योंकि अभिलेख पर वर्तमान तक भी यह तथ्य नहीं है कि तब से लेकर अब तक प्रतिवादी ने कोई विकय किया हो। अतः ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के द्वारा यह निष्कर्ष देकर कोई त्रुटि कारित नहीं की है कि अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि प्रतिवादी वादी के स्वामित्व व आधिपत्य के मकान व दुकानों को अन्य किसी को विकय करना चाहता है।
- 18. इस प्रकार विद्वान विचारण / अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का विधिवत् अवलोकन कर, साक्ष्य का उचित मूल्यांकन एवं विश्लेषण करते हुए, प्रस्तुत दस्तावेजों

को विचार में लेते हुए वादप्रश्न कमांक 01 लगायत 04 पर जो निष्कर्ष दिया है, वह त्रुटिपूर्ण हो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार से विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं डिकी दिनांक 27/01/14 में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं है। विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित आलोच्य निर्णय के द्वारा वादी द्वारा भूमि सर्वे कमांक 1132 रकवा 0.94 हैक्टे0 तथा सर्वे कमांक 1181 रकवा 0.439 हैक्टे0 में से 1/16 हिस्से अर्थात 2600 वर्गफीट की भूमि, मकान एवं दुकानों स्थित मौ रोड वार्ड नंबर 02, जिसे वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में दर्शाया गया है, के संबंध में प्रस्तुत किया गया स्थाई निषेधाज्ञा का वाद निरस्त किए जाने की जो डिकी दी गई है, वह हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

- 19. तद्नुसार अपीलार्थी / वादी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की जाकर विचारण / अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय व डिकी दिनांक 27.01.14 की पुष्टि की जाती है
- 20. उभयपक्ष इस अपील का व्यय अपना—अपना वहन करेंगे। अधिवक्ता शुक्ल 1000 / –रूपए लगाया जावे। डिकी तैयार की जावे।
- 21. इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जावे।

निर्णय न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(मोहम्मद अजहर)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड